

न्यायालय उपखाट अधिकारी एवं उपखाट मजिस्ट्रेट, (थानागाजी)  
अनुवन ज्यारली लाल बनाम श्रेया वर्मा 106 27/8/19

6/9/19

आज यह फावली झलचाद व साध चादी के जर्जनापत्र पर लख होकर पेश हुई। इस जर्जना-पत्र से संबंधित झलचाद राजनामा के आधार पर खारिज हो चुका है। अब इस जर्जना-पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः जर्जना-पत्र 212 R.G. A-14 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिमल फॉर्मल शुम्भार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तर्कील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
थानागाजी (अलवर)